छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 15,1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री , छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री , छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम,1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 3-1/2011/1/एक, दिनांक 3 मई, 2011 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ,छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक/280/ एफ -2(3)/48/सं.का./09, दिनांक 26 मार्च,2011 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ,छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-02/2011/32, दिनांक 7 जून, 2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल,रविन्द्र चौबे,डॉ.शक्राजीत नायक,सदस्य, प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह,सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आवास निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. मंत्री का वक्तव्य

श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कृषि कर्मण पुरस्कार के संबंध में वक्तव्य देंगे.

क्रमश: 2

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

6. वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2 , 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **सोलह सौ तिरपन करोड़, तीस लाख, सत्रह हजार, दो सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

3 घंटे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक,2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर

दिनांक 5 सितम्बर,2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.